13/1/25

पत्रावली पेश हुई वादीगण नंबर 1, 2, 3 व प्रतिवादी नंबर 3 मय वकील उप० पक्षकारों ने कोविड में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया अतः वादी डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर ... दाखिल दफ्तर की आदेश प्रदान गया।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास प्रेमराज मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

1. द्वारिका आयु 60 साल
2. रामजीलाल आयु 68 साल
3. गजराज आयु 60 साल
4. लाखन आयु 35 साल

पुत्रान डूँगर जाति मीना निवासी फकीरपुरा पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1. शिवगिर आयु 60 साल
2. तेजगिर आयु 35 साल
3. लालगिर आयु 30 साल
4. हरप्यारी आयु 55 साल पत्नि स्व0 मोहनगिर
5. कल्लागिर आयु 24 साल पुत्र स्व0 मोहनगिर
6. कमलगिर आयु 24 साल पुत्र स्व0 मोहनगिर
   जति गोसाई (गुंशाई) निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा 88, 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 47/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री श्याम सुन्दर शर्मा, एडवाकेट** ानिब मुदई रूबरू **श्री ललित कुमार शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 11.11.2025 01.12.2025 व 15.12.2025 के अनुसार डिक्री किया है। राजीनामा दिनांक 11.11.2025 01.12.2025 व 15.12.2025 डिक्री का जुज रहेगा। वादीगण को आराजी ा नंबर 334, 337 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5185 है0 ग्राम पिपरानी पटवार हल्का पिपरानी तहसील मासलपुर म्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 को पाबंद किया जाता ि वे विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा ने तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावे एवं प्रतिवादी नंबर 7 को प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड स ि कर वादीगण के नाम जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण हिस्से का अमल दरामद किये जाने के आदेश दिय है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, मासलपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान ा–अपना वहन करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

.... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के सूद निज बगरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक ..15|12|25.......... को सन् 2025 को जारी ाई।

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

	रूपया	पैसे	मुददायलह		
अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
ाना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
रिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी,
करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem
Date: 2026.05.01 13:00:2
Reason: SelfAttested

-इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज ा चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:–47 / 25 तारीख रजु –8.10.2025

उनवान

1. द्वारिका आयु 60 साल
2. रामजीलाल आयु 58 साल
3. गजराज आयु 50 साल
4. लाखन आयु 35 साल

पुत्रान डौंगर जाति मीना निवासी फकीरपुरा पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

–वादीगण

बनाम

1. शिवगिर आयु 60 साल
2. तेजगिर आयु 35 साल
3. लालगिर आयु 30 साल
4. हरप्यारी आयु 55 साल पत्नि स्व0 मोहनगिर
5. कल्लागिर आयु 24 साल पुत्र स्व0 मोहनगिर
6. कमलगिर आयु 24 साल पुत्र स्व0 मोहनगिर
   जति गोसाई (गुंशाई) निवासी पिपरानी तहसील मासलपुर जिला करौली राज0
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा 88, 188 आर टी एक्ट

–::निर्णय::–

दिनांक :– 15/12/25

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता डौंगर पिता के व भाई बुद्धु व देवी लाल पिसरान रामफूल मीना के समय की पुश्तैनी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 334 रकवा 0.3288 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 337 रकवा 0.1897 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकवा 0.5185 हैक्टेयर वाके ग्राम पिसरानी तहसील मासलपुर जिला करौली में स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 334 रकवा 0.3288 हैक्टेयर का साविक खसरा नम्बर 260 रकवा 1 वीघा 1 विस्वा व खसरा नम्बर 337 रकवा 0.1897 हैक्टेयर साविक खसरा नम्बर 263 रकवा 15 विस्वा रहा है। जो सम्वत 2010 से 2013 में केवल वुद्धु, देवीलाल डोंगर पिसरान रामफूल

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2026.05.01 1
Reason: SelfAttest

मीना निवासी फकीरपुरा के नाम तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। प्रतिवादीगण अथवा उनके पूर्वज बुधगिर, श्यामगिर पुत्रान टूण्डागिर का उक्त आराजी से किसी प्रकार का कोई खातेदारी काश्त कारी सम्बन्ध नही रहा है। वादीगण के पिता डोंगर व पिता के खास भाई बुद्धु व देवीलाल पिसरान रामफूल के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की रही है। उनके तन्हा खातेदारी इन्द्राज सम्वत 2010 से 2013 में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में रहे हैं। पिता वादीगण डोंगर के दोनों खास भाई बुद्धु व देवीलाल लाऔलाद फौत हो चुके है उनके हम वादीगण है वैध वारिस है। जो डोंगर, देवीलाल बुद्धु की समस्त जायदाद पर काबिज बतौर वारिस खातेदार काश्तकार है दर्ज रिकार्ड है प्रतिवादीगण का हमारी उक्त आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा नम्बर 1 से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहा है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पिता व पितामह बुधगिर व श्यामगिर का वादीगण का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार को कोई सम्बन्ध नही रहा है ना ही वह इन जमीनों पर काबिज रहे है। टीनेन्सी एक्ट के प्रभाव में आने से पूर्व उक्त आराजीयात मुन्दर्जा वादपत्र पैरा नं0 1 के सम्पूर्ण हक हकूक खातेदारी काश्तकारी हमारे बुर्जुग डोंगर, बुद्धु व देवीलाल पिसरान रामफूल में निहित थे जो उनके मरने के बाद हम वादीगण में निहित हो चुके है। प्रतिवादीगण 1 ता 6 के पूर्वज बुद्वगिर पुत्र टूण्डगिर एवं श्यामगिर पुत्र टूण्डगिर बेहद चतुर चालाक व समझदार व्यक्ति थे बुद्वगिर व श्यामगिर ने अपने अनुचित लाभ के लिये वकत सेटलमेंट बगैर किसी अधिकार के गैरकानूनी तरीके से सैटिलमेंचट कर्मचारियों से साज कर हम वादीगण व हमारे पूर्वजों से छिपाकर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम 1/2 हिस्से के सह खातेदारी इन्द्राज गलत रूप से करा लिये जबकि कानूनन सैटिलमेंट को किसी प्रकार खातेदारी इन्द्राज बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नही था इस तरह गलत व विधि विरूद्व तरीके से कराये गये सैटिलमेंट जमाबन्दी इन्द्राजात से सेटिलमेंट जमाबन्दी के आधार पर किये गये प्रतिवादीगण के नाम के इन्द्राजों से वादीगण के हक हकूको पर कोई प्रभाव नही पडता हैं। इस प्रकार गलत तरीके से बिना किसी कानूनी अधिकार कराये गये सेटिलमेंट इन्द्राज व उसके वाद सैटिलमेंट के आधार पर किये गये राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी इन्द्राज हम वादीगण के हक हकूको पर शुरू से बेअसर प्रभावहीन व शून्य है। दिनांक 01.06.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम के गलत इन्द्राजात के आधार पर हम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not V
Digitally signed by
Date: 2026.05.01 1
Reason: SelfAttest

वादीगण को जमीनों को रहन वय करने की कहा व हम वादीगण को उक्त आराजीयात 1/2 हिस्से से बेदखल कराने की धमकी दी तब हमें प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों की फर्जीकारी का पता चला वादीगण ने प्रतिवादीगण 1 ता 6 से उनके हक में हुए विधि विरूद्व गलत व निराधार 1/2 हिस्से के खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कराने की कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजीयात मुन्दर्जा वाद पत्र पैरा नम्बर 1 वादीगण के पिता डोंगर पुत्र रामफूल व उसके भाई बुद्व, देवीलाल पिसरान रामफूल मीना के नाम तन्हा खातेदारी में दर्ज रिकार्ड रही है जो वादीगण के पुश्तैनी खातेदारी व तन्हा कब्जे काश्त की रही है। सम्पूर्ण भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से तन्हा रूप से काबिज काश्त बतौर खातेदार है। प्रतिवादीगण अथवा प्रतिवादीगण के पूर्वज बुद्वगिर पुत्र टूण्डगिर का कोई खातेदारी काश्ताकरी संबंध कभी नही रहा है। न ही उन्होंने अथवा प्रतिवादीगणने काश्त की है वर्तमान में भी हम वादीगण काबिज काश्त है। बुद्वगिर व श्यामगिर पुत्रान टुण्डगिर ने अपनी साजिशि चतुराई से अपने अनुचित लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से चालाकी पूर्ण तरीके से वादीगण व वादीगण के पूर्वजों से छिपाते हुए सैटिलमेंट कर्मियों से साजकर वादीगण के पूर्वजों डौंगर बुद्व व देवीलाल पिसरान रामफूल के तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त भूमि मुन्दर्जा वाद पत्र पैरा नम्बर 1 में गलत अवैध व अनाधिकार रूप से अपने नाम 1/2 हिस्से के सहखातेदारी इन्द्राज करा लिये और बुद्वगिर के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 व उसके मृतक भाई रमेशगिर, मोहनगिर व मृतक हरफूलबाई के नाम सेटिलमेंट खतौनी के आधार पर विरासत इन्द्राज बदलवा लये जबकि सेटिलमेंट विभाग को पूर्व खातेदारी इन्द्राजों को बदलने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही था उक्त आराजीयात दर्ज वाद पत्र पैरा नं0 1 में हुए बुद्वगिर, श्यामगिर पुत्रान टूण्डागिर के नाम हुए 1/2 हिस्से के सह खातेदारी इन्द्राज विधि विरूद्व गैर कानूनी व अवैध है जो गलत व अनाधिकार होने से वादीगण के हक हकूको के खिलाफ शुरू से बेअसर प्रभावहीन व शून्य है। जो वादीगण पर बाध्यकारी नही है। वादीगण बुद्वगिर, श्यामगिर पूत्रान टूण्डागिर व उसके वाद प्रतिवादीगण 1 ता 3 शिवगिर, लालगिर, पिसरान बुद्वगिर, रमेशगिर पुत्र बुद्वगिर, हरफूलबाई पत्नि बुद्वगिर के नाम किये गये 1/2 हिस्से के सह खातेदारी इन्द्राजों को राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से हजफ कराकर सम्पूर्ण खातेदारी अपने नाम

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not
Digitally signed by
Date: 2026.05.01
Reason: SelfAttes

घोषित कराने व राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में सम्पूर्ण खातेदारी तन्हा रूप से अपने नाम अमल कराने के अधिकारी है। बाद उक्त आराजीयात वर्तमान दावा पत्र पैरा नं0 1 में अपने अपने पूर्वजों के हक में हुए अवैध व अनाधिकार 1/2 हिस्से के सहखातेदारी इन्द्राजों के आधार पर अपने नाम विरासत नामान्तरकरण करवाकर केवल पेपर एन्ट्री के आधार भूमि को दीगर लट्ठ वाले व्यक्तियों को रहन वय करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 01.06.2025 को वादीगण को खुले आम ऐलानिया धमकी दी कि हम उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से भूमि को दीगर लट्ठ वाले व्यक्तियों को रहन वय कर तुम्हें बेदखल करने कराके रहेगें यदि प्रतिवादीगण अपने इस अनाधिकार व अवैध रूप से कराये गये इन्द्राज के आधार पर जमीनों को रहन वय करके वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को भारी हक तलफी होगी प्रतिवादीगण की यह कार्यवाही अवैध व अनाधिकार है। प्रतिवादीगण की इस अनाधिकार कार्यवाही से वादीगण को भारी असुविधा है। व वादीगण के हक हकूको पर भारी कुठाराघात है व वादीगण को भारी अपूर्णीय क्षति है। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द कराने के मुश्तहक है कि वे वादग्रस्त के तन्हा कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत न तो स्वयं करे ना किसी अनय से करावे वादीगण को शांति पूर्वक काबिज रहने दे वादीगण के शांति पूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करे ना करावे। विवादित भूमि को रहन वय व हस्तातरण की किसी भी रीति से हस्तान्तरित नही करे मौका व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। विनाय मुखासमत दिनांक 01.06.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को विवादित भूमि के 1/2 हिस्से भूमि को रहन वय करने व जबरन कब्जा करने व विवादित भूमि को दीगर व्यक्तियों को रहन वय कर बेदखल करने कराने की ऐलानिया धमकी देने पर वादीगण द्वारा ऐसा अन्याय नही करने पर कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इन्कार करने पर वादीगण को उक्त फर्जकारी की जानकारी मिलने पर राजस्व रिकॉर्ड की आवश्यक नकल लेने पर प्रतिवादीगण से उक्त फर्जी इन्द्राजों को दुरूस्त कराने को कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इन्कार लेने पर और हदूद अदालत हाजा पैदा हुई है। दावा वादीगण अन्दर मियाद पेश है। मोहनगिर पुत्र बुद्धगिर फौत हो चुका है। इसलिये मोहनगिर के वारिसान प्रतिवादी नम्बर 4 ता 6 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है एवं हरफूल बाई पत्नि बुद्धगिर फौत हो

Signature Not V
Digitally signed by F
Date: 2026.05.01 13
Reason: SelfAtteste

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

चुकी है एवं श्याम गिर पुत्र दुण्डा गिर भी लाऔलाद फौत हो चुका है। उसके विधिक वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 है जो वादपत्र में पक्षकार मुकदमा है। प्रतिवादी नम्बर लैण्ड होल्डर होने से तरतीबी पक्षकार बनाया गया है। अंत में दावा वादी डिक्री कराने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादीगण ने जरिये वकील स्वंय उपस्थित होकर दिनांक 11.11.2025 01.12.2025 व 15.12.2025 को राजीनाम पेश किया। अंत में मुताबिक राजीनाम डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः दावा वादीगण मुताबिक राजीनामा दिनांक 11.11.2025 01.12.2025 व 15.12.2025 के अनुसार डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांक 11.11.2025 01.12.2025 व 15.12.2025 डिक्री का जुज रहेगा। वादीगण को आराजी खसरा नंबर 334, 337 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5185 है0 ग्राम पिपरानी पटवार हल्का पिपरानी तहसील मासलपुर के सम्पूर्ण हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है और प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 को पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजीयात के किसी भी हिस्से में वादीगण के कब्जे काश्त में कोई व्यवधान पैदा न तो स्वंय पैदा करें ना ही किसी अन्य से करावे एवं प्रतिवादी नंबर 7 को प्रतिवादी नंबर 1 ता 6 के नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ कर वादीगण के नाम जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में सम्पूर्ण हिस्से का अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार मासलपुर को पालनार्थ भिजवायी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.12.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.01 13:00:24 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली (करौली)